81

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2001/PM 7/17 New Delhi. Dated 13-01-2004

The General Managers,
All Indian Railways.
(As per standard lists)

Sub: Relaxation of two years residency period in the case of running staff.

In terms of extant procedure regulating promotion of staff within Group 'C', a minimum of two years residency period is required to be completed in the immediate lower grade for promotion. This requirement can be relaxed in all categories, except in the case of running categories, by General Managers, to one year wherever such relaxation is found to be inescapable in the interest of administration.

2. The staff side in the DC-JCM have raised a demand for relaxation of two years' residency period in the immediate lower grade for promotion of Drivers also. This has been considered by the Board who have observed that the problem of finding staff with required two years' service for promotion, has arisen mainly due to the delays in holding selections at various stages. The Board, therefore, desires that the Railways should remove this cause and ensure that the selections of Drivers are conducted on time as per schedule and monitored closely.

3. The Board also would like to have the Railways' views on the demand of the staff side and the extent of problem. The information in this regard may be sent to the Board in the proforma enclosed within a fortnight.

4. In the meanwhile, the receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl: Proforma.

Mamta
(Mamta Kandwal)
Dy. Director, Estt.(N)
Railway Board.

Details regarding Selections held for promotion as Drivers

Selections held for promotion as Passenger/Mail/Express Drivers during the years.		No. of vacancies notified.	No. of vacancies filled.	Reasons for non-filling, if any.
2001	Passenger Driver			
	Mail/Express Driver			
2002	Passenger Driver			
	Mail/Express Driver			
2003	Passenger Driver			
	Mail/Express Driver			

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I-2001/पी एम 7/17 नई दिल्ली, दिनांक : 13.01.2004

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय : रनिंग स्टाफ के मामले में दो वर्ष की रेजिडेंसी अवधि से छूट.

ग्रुप 'सी' में कर्मचारियों की पदोन्नति विनियमित करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, पदोन्नति के लिए तत्काल नीचे वाले ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की रेजिडेंसी अवधि पूरी करनी अपेक्षित होती है. जहां प्रशासन के हित में ऐसी छूट दी जानी अपरिहार्य पाई जाती है, महाप्रबंधकों द्वारा रनिंग कोटियों के मामले को छोड़कर, सभी कोटियों में इस आवश्यकता में एक वर्ष की छूट दी जा सकती है.

2. डीसी-जेसीएम में कर्मचारी पक्ष ने ड्राइवरों की पदोन्नति के लिए भी तत्काल नीचे वाले ग्रेड में दो वर्ष की रेजिडेंसी अवधि में छूट के लिए मांग की है. बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया गया है और बोर्ड ने पाया है कि पदोन्नति के लिए अपेक्षित दो वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्राप्त करने की समस्या मुख्यत: विभिन्न स्तरों पर चयन आयोजित करने में होने वाले विलंब के कारण उत्पन्न हुई है. इसलिए बोर्ड चाहता है कि रेलों को इस कारण को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवरों का चयन नियत समय के अनुसार किया जाता है और उस पर ध्यानपूर्वक नजर रखी जाती है.

3. बोर्ड कर्मचारी पक्ष की इस मांग और समस्या के संबंध में रेलों के विचार भी चाहता है. इस संबंध में सूचना बोर्ड को संलग्न प्रोफार्मा में 15 दिन के भीतर भिजवा दी जाए.

4. कृपया इस बीच इस पत्र की पावती दें.

संलग्न: प्रोफार्मा

ममता
(ममता कंडवाल)
उप निदेशक, स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड

ड्राइवरों के रूप में पदोन्नति के लिए आयोजित चयनों के संबंध में विवरण.

इन वर्षों के दौरान पैसेंजनर/मेल/एक्सप्रेस ड्राइवरों के रूपमें पदोन्नति के लिए आयोजित चयन		अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	भरी गई रिक्तियों की संख्या	नहीं भरने के कारण, यदि कोई हैं.
2001	पैसेंजर ड्राइवर			
	मेल/एक्सप्रेस ड्राइवर			
2002	पैसेंजर ड्राइवर			
	मेल/एक्सप्रेस ड्राइवर			
2003	पैसेंजर ड्राइवर			
	मेल/एक्सप्रेस ड्राइवर			